प्रेस नोट
सराहनीय कार्य
दिनांक 22.02.2026

थाना वजीरगंज पुलिस व एसओजी/सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में थाना वजीरगंज क्षेत्रान्तर्गत सर्राफा दुकान से हुई चोरी का सफल अनावरण, 03 शातिर अन्तर्जनपदीय चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये हुए 03 कि0 572 ग्राम सफेद धातु के बने हुए विभिन्न आभूषण, पेंच व पीली धातु की 06 अंगूठी, 06 नाक की कील, 02 जोड़ी कान की बाली व रु0 21,450/- नगद, चोरी के उपकरण व चोरी में प्रयुक्त सफेद रंग की कार स्विफ्ट डिजायर-

कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना वजीरगंज पुलिस व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा मु0अ0सं0- 50/2026 धारा- 331(4), 305(ए) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा से सम्बन्धित चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 03 शातिर अन्तर्जनपदीय चोरों 1. रामकृपाल चौहान पत्रु ननकऊ चौहान निवासी बबया मौजा रुकनापुर थाना पयागपुर जनपद बहराइच, 2. जगदम्बा चौहान पत्रु लल्ला चौहान निवासी बरजोतपुरवा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा व 3. विवेक कुमार उर्फ बच्चन पुत्र छांगुर चौरसिया निवासी बनघुसरा थाना भिनगा जनपद श्रावस्ती को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किये हुए कुल 03 कि0 572 ग्राम सफेद धातु के बने हुए विभिन्न आभूषण, पेंच व पीली धातु की 06 अदद अंगूठी, 06 अदद नाक की कील, 02 अदद जोड़ी कान की बाली व रु0 21,450/- नगद, चोरी के उपकरण व चोरी में प्रयुक्त सफेद रंग की कार स्विफ्ट डिजायर बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.02.2026 को वादी विकास सोनी पुत्र श्री रामकुमार सोनी निवासी कस्बा व थाना वजीरगंज जिला गोण्डा द्वारा थाना वजीरगंज पर लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 13/14.02.2026 की रात में कस्बा वजीरगंज स्थित उनकी दुकान के पीछे लगे लोहे के दरवाजे को गैस कटर से काटकर चोरों द्वारा उनकी दुकान में घुसकर अलमारी तोड़कर सोने, चांदी का सारा सामान चोरी कर लिया है। सुबह दुकान खोलने पर चोरी के संबंध में जानकारी हुई, प्रकरण के संबंध में वादी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त चोरी की घटना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना के जल्द से जल्द अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण में एस0ओ0जी0/सर्विलांस सहित कुल 05 टीमों का गठन किया गया था। आज दिनांक 22.02.2026 को थाना वजीरगंज व एसओजी / सर्विलांस की संयुक्त टीम घटना के सफल अनावरण के क्रम में क्षेत्र में भ्रमणशील थी। इसी दौरान जानकारी मिली कि सर्राफा दुकान से चोरी की घटना कारित करने वाले शातिर चोरों का गिरोह एक कार से दुर्जनपुर घाट की तरफ फिर किसी उद्देश्य से घूम रहे हैं। पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर वाहन चेकिंग प्रारम्भ की गई, चेकिंग के दौरान एक सफेद कार से तीन चोरों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से चोरी किये हुए कुल 03 कि0 572 ग्राम सफेद धातु के बने हुए विभिन्न आभूषण, पेंच व पीली धातु की 06 अदद अंगूठी, 06 अदद नाक की कील, 02 अदद जोड़ी कान की बाली व रु0 21,450/- नगद, चोरी के उपकरण व चोरी में प्रयुक्त सफेद रंग की कार स्विफ्ट डिजायर बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगणों से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि इन लोगो का एक संगठित गिरोह है जो आर्थिक लाभ कमाने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाकर चोरी की घटनाओ को अंजाम दिया करते हैं। पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे चोर हैं और दिनांक 13/14.02.2026 को कस्बा वजीरगंज स्थित सर्राफा दुकान ले चोरी किये थे। इसके पूर्व दिनांक 15.01.2026 को थाना नवाबगंज क्षेत्रांतर्गत ग्राम बालापुर के एक घर में चोरी की थी चोरी के बाद प्राप्त आभूषण व नगदी को आपस में बाँट लिया था

। इसके बाद दिनांक 18/19.01.2026 को जनपद बस्ती के थाना गौर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सुजिया में एक सर्राफा दुकान से चोरी की थी वहाँ से जो आभूषण मिले वे हमलोग आपस में बाँट लिए थे। इन चोरों द्वारा चोरी की सामग्री को बेच कर प्राप्त पैसे को आपस में बाँट लिया जाता है। गाड़ी स्विफ्ट डिजायर के बारे में पूछने पर अभियुक्त विवेक कुमार उर्फ बच्चन बता रहा है कि यह गाड़ी वह एक चालक के तौर पर चलाता है, गाड़ी का मालिक फारूख अली पुत्र मो0 सद्दीक निवासी गोडपुरवा थाना भिनगा जनपद श्रावस्ती है। दिनांक 13.02.2026 को वह जमुनहा बार्डर से अपने साथी रामकृपाल व अन्य को बैठाकर जनपद बहराइच शहर में गया जहाँ उन्होने एक दुकान से गैस कटर व रिंच खरीद कर योजना बनाकर गाड़ी से ही सब लोग कस्बा वजीरगंज गोण्डा आये जहाँ उन्हे जगदम्बा चौहान पुत्र लल्ला चौहान मिला जिसने पहले से ही सर्राफा दुकान की रेकी कर ली थी। रात में सबने मिलकर योजना के मुताबिक वजीरगंज कस्बा स्थित सर्राफा दुकान में पीछे के रास्ते चढ़कर गैस कटर से दरवाजा काटकर दुकान में घुसे थे, और अलमारी व तिजोरी तोड़कर सोने/चाँदी के विभिन्न आभूषण चोरी की। जिसके बाद दुकान से मिले आभूषण व नगदी को आपस में बाँट लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. रामकृपाल चौहान पत्रु ननकऊ चौहान निवासी बबया मौजा रुकनापुर थाना पयागपुर जनपद बहराइच।
2. जगदम्बा चौहान पत्रु लल्ला चौहान निवासी बरजोतपुरवा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
3. विवेक कुमार उर्फ बच्चन पुत्र छांगुर चौरसिया निवासी बनघुसरा थाना भिनगा जनपद श्रावस्ती।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 50/2026 धारा- 331(4), 305(ए) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0- 019/2026 धारा- 305 बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0- 013/2026 धारा 331(4), 3052(ए) बीएनएस थाना गौर जनपद बस्ती।

बरामदगी-

01. 03 कि0 572 ग्राम सफेद धातु के बने हुए विभिन्न आभूषण (61 जोड़ी पायल, 01 अदद श्री लक्ष्मी-गणेश मूर्ति, पोंट व अन्य विभिन्न आभूषण)
02. 06 अदद अंगूठी (पीली धातु की)
03. 06 अदद नाक की कील (पीली धातु की)
04. 02 अदद जोड़ी कान की बाली (पीली धातु की)
05. रु0 21,450/- नगद
06. चोरी में प्रयुक्त सफेद रंग की कार स्विफ्ट डिजायर
07. चोरी में प्रयुक्त 01 अदद गैस कटर, 01 रेगुलेटर, 01 सलाई रिंच, 01 पिलास, 01 पेंचकस व 01 इलेक्ट्रानिक कांटा

आपराधिक इतिहास रामकृपाल पुत्र ननकऊ -

01- मु0अ0स0-64/2020, धारा 380, 411, 413, 457 IPC थाना मोतीपुर जनपद बहराइच।
02- मु0अ0स0-13/2020, धारा 380, 411, 457 IPC थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
03- मु0अ0स0-485/2023, धारा 323, 325, 504, 506 IPC थाना पयागपुर जनपद बहराइच
04- मु0अ0स0-193/2020, धारा 380, 411, 457 IPC थाना रानीपुर जनपद बहराइच।
05- मु0अ0स0-45/2020, धारा 380, 411, 413, 457 IPC थाना रिसिया जनपद बहराइच।
06- मु0अ0स0-144/2020, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट IPC थाना रिसिया जनपद बहराइच।
07. मु0अ0स0-295/2023, धारा 323, 504, 506 IPC थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर।
08. मु0अ0स0-08/2025, धारा 331(4), 504(ए) बीएनएस थाना छपिया जनपद गोण्डा।
09- मु0अ0स0-599/2017, धारा 147, 149, 323, 5041, 506, 308, 3 IPC थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

10- मु0अ0स0-10/2020, धारा 380, 411, 413, 457 IPC थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।
11- मु0अ0स0-816/2019, धारा 380, 411, 413, 457 IPC थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।
12- मु0अ0स0-46/2020, धारा 34, 380, 411, 414, 457 IPC थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती।
13- मु0अ0स0-52/2020, धारा 34, 380, 411, 413, 457 IPC थाना इकौना जनपद श्रावस्ती।
14- मु0अ0स0-63/2018, धारा 504, 325, 323 IPC थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
15- मु0अ0स0-200/2020, धारा 323, 504,506 IPC थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. श्री विपुल पाण्डेय थानाध्यक्ष थाना वजीरगंज, गोण्डा।
02. श्री गौरव सिंह प्रभारी- एस0ओ0जी0/सर्विलांस।
03. उ0नि0 विक्रमादित्य सिंह थाना वजीरगंज
04. उ0नि0 उमाशंकर प्रसाद थाना वजीरगंज
05. हे0का0 अमित पाठक- एस0ओ0जी0/सर्विलांस।
06. हे0का0 रणधीर- एस0ओ0जी0
07. हे0का0 अरुण यादव- एस0ओ0जी0
08. हे0 का0 लोकेश नागर- एस0ओ0जी0
09. हे0का0 बिरजू प्रसाद- एस0ओ0जी0
10. हे0का0 श्याम नरायन- एस0ओ0जी0
11. हे0का0 रवि यादव- एस0ओ0जी0/सर्विलांस
12. हे0का0 दिनेश सोनी थाना वजीरगंज
13. हे0का0 राजकरन यादव थाना वजीरगंज
14. का0 रजत सिंह थाना वजीरगंज
15. का0 सुशील सिंह थाना वजीरगंज
16. का0 सूरज उपाध्याय

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 22.02.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा कूटरचना करके 2147.78 लाख रुपये की जालसाजी व गबन करने में 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 044/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(5), 351(3), 3(5), 61(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 045/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(5), 3(5), 61(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तगण 01. राघवराम पुत्र समयदीन निवासी ग्राम बहलोलपुर थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा तथा 02. शिवाकान्त वर्मा पुत्र स्व० राजितराम वर्मा निवासी इमिलिया गुरुदयाल थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा को बहराइच रोड पर बिमौर चौराहा से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 02.01.2026 को भुवन चन्द्र सती, सहायक महाप्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लि० शाखा गोण्डा, पता लाला छोटे लाल का हाता, स्टेशन रोड, महरानीगंज, जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि गोण्डा शाखा में ऋण वितरण के दौरान गंभीर अनियमितता एवं धोखाधड़ी की गयी है । उल्लेख किया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक में इम्पैनल्ड चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा कराये गये स्पेशल ऑडिट की अन्तरिम रिपोर्ट एवं दिनांक 02.01.2026 की गठित कमेटी की संस्तुति के परीक्षण में प्रकाश में आया कि अभियुक्त पवन कुमार पाल (तत्कालीन शाखा प्रबन्धक) द्वारा बैंक के अन्य कार्मिकों व खाताधारकों 1. राघवराम पुत्र समयदीन, 2. शिवाकान्त वर्मा पुत्र स्व० राजितराम वर्मा व अन्य के साथ मिलकर सुनियोजित ढंग से गिरोह बनाकर बैंक की नीति एवं आरबीआई/नाबार्ड के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध ऋण स्वीकृति व वितरण किये गये । जांच में यह भी पाया गया कि अभियुक्त द्वारा स्वयं, अपने परिवारजनों एवं गिरोह के सदस्यों को बिना पात्रता एवं आवश्यक अभिलेखों के ऋण वितरित किये गये तथा फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर बैंक के 205 खाताधारकों के ऋण व बचत खातों एवं 05 आन्तरिक खातों से कुल रु0 2147.78 लाख की धनराशि का विभिन्न बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दुर्विनियोग/अपहरण किया गया । जिसमें 05 आन्तरिक खातों से अनधिकृत रूप से रु0 46.13 लाख की धनराशि निकाल कर गबन किया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । अभियोग में विवेचना के दौरान दिनांक 18.01.2026 को पवन कुमार पाल (तत्कालीन शाखा प्रबन्धक) उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लि० शाखा गोण्डा को गिरफ्तार किया जा चुका है। थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम अभियोग के अन्य आरोपी अभियुक्तों की तलाश व गिरफ्तारी हेतु भ्रमण शील थी । आज दिनांक 22.02.2026 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान तकनीकी एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाये गये वांछित अभियुक्तगण 1. राघवराम पुत्र समयदीन (खाताधारक) व 2. शिवाकान्त वर्मा पुत्र स्व० राजितराम वर्मा (खाताधारक)

को बहराइच रोड, बिमौर चौराहा से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राघवराम पुत्र समयदीन निवासी ग्राम बहलोलपुर थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।
02. शिवाकान्त वर्मा पुत्र स्व० राजितराम वर्मा निवासी इमिलिया गुरुदयाल थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 044/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(5), 351(3), 3(5), 61(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0 045/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(5), 3(5), 61(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. अति0प्र0नि0 सभाजीत सिंह मय हमराह
02. उ0नि0 उदित कुमार वर्मा
03. कां० अमित यादव
04. कां0 प्रभाकर यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।